कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.5(7)2018 / अदेपु / विकास / प्रमुवसं /   दिनांक :

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
(समस्त राजस्थान)

विषय :—अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार वर्ष 2020 हेतु प्रस्ताव चाहने बाबत।
सन्दर्भ :— इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 9427—39 दिनांक 13.05.2020 क्रमांक 10354—66 दिनांक 09.06.2020 क्रमांक 10442—454 दिनांक 18.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिनके द्वारा अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार वर्ष 2020 हेतु प्रस्ताव जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदन उपरांत अपनी टिप्पणी / अभिशंषा के साथ निर्धारित तिथि 31.07..2020 तक ऑन लाईन इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

दिनांक 31.07.2020 को वर्ष 2019 हेतु प्राप्त प्रस्तावों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स) राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति के समक्ष को रखा गया। तकनिकी समिति द्वारा पाया गया कि समयावधि बढाने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ) द्वारा अ.शा.पत्र लिखा जाकर ज्यादा—ज्यादा से प्रस्ताव भेजने का अनुरोध करने के बावजूद फील्ड अधिकारियों द्वारा ओर प्रस्ताव नहीं भेजना काफी निराशा जनक रहा है। इससे फील्ड में अच्छा काम करने वाले सम्मानित नहीं हो पा रहे हैं।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020 हेतु वांछित प्रस्ताव 31 जुलाई के स्थान पर 31 अक्टूबर, 2020 तक आवश्यक रूप से प्राप्त करने हेतु उप वन संरक्षकगण को निर्देशित किया जावे। यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो इस आशय का श्रेणीवार पृथक—पृथक प्रमाण पत्र, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जावे कि मेरे क्षेत्राधिकार में तीनों श्रेणीयों में पुरस्कार योग्य व्यक्ति / संस्था नहीं है, प्राप्त किया जावे। साथ ही संभागीय मुख्य वन संरक्षकगण द्वारा भी यह प्रमाणित किया जावेगा कि नियत्रंणाधीन उप वन संरक्षक के प्रमाण पत्र से मैं सहमत हूं।

अतः वर्ष 2020 हेतु अधिक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त किये जाकर प्रस्तावों में वर्णित कार्यो का जिला स्तरीय समिति स्तर पर सत्यापन कराये जाकर संतुष्टि उपरान्त ही प्रस्ताव इस कार्यालय को जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा सहित प्रेषित करावें।

आप अपने स्तर से जिला स्तर पर जिला जनसम्पर्क अधिकारी के माध्यम से प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करावें एवं योजना की पूर्ण सफलता में अपना व्यक्तिगत सहयोग प्रदान करें। नियमों की विस्तृत जानकारी एवं ऑन लाईन आवेदन व आवेदन की प्रकिया वन विभाग की वेब साईट (http://forest.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है। इसके लिए आवेदक SSO.rajasthan.gov.in पर SSO.ID के माध्यम से Login कर Forest and wildlife के अन्तर्गत Amrita Devi Award 2020 हेतु आवेदन प्राप्त कर अधिकाधिक आवेदन अग्रेषित किये जावें अन्यथा उक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
sd/-
(महेश चन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक,
(आयोजना) राजस्थान, जयपुर

कृ.पृ.उ.

कमांक : एफ.5(7)2018–19 / अदेपु / विकास / प्रमुवसं / 22971 दिनांक : 17-8-2020

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राज0 जयपुर।
2. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राज0 जयपुर।
3. समस्त अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण, राज0 जयपुर।
4. समस्त वन संरक्षक, (राजस्थान)
5. समस्त उप वन संरक्षक (राजस्थान) को प्रेषित कर लेख है कि वे प्राप्त प्रस्तावों की अपने स्तर पर पूर्ण समीक्षा करें तथा जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदन उपरांत ही अपनी टिप्पणी के साथ निर्धारित तिथि 31.10..2020 तक ऑन लाईन संभागीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को एहुंचाना सुनिश्चित करें।
6. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर।

(महेश चन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक,
(आयोजना) राजस्थान, जयपुर